I/174209/2023

संख्याः 174209 /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–1 (वि.आ.निदे.) :: देहरादून :: दिनांकः 22 दिसम्बर, 2023

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त (जनवरी से मार्च, 2024) की धनराशि संक्रमित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त (जनवरी से मार्च, 2024) हेतु निम्न तालिका के कॉलम–(03) में अंकित कुल देय संक्रमण ₹33965.07 लाख में से कॉलम–4 में अंकित कुल ₹336.93 लाख (₹तीन करोड़ छत्तीस लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु (01 प्रतिशत) तथा कॉलम–5 में अंकित कुल शेष धनराशि ₹33628.14 लाख (₹तीन सौ छत्तीस करोड़ अट्ठाईस लाख चौदह हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार (निकायवार विवरण, संलग्नक–1) संबंधित निकायों को आवंटित करने, इस प्रकार कुल ₹33965.07 लाख (₹ तीन सौ उन्तालीस करोड़ पैंसठ लाख सात हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(₹हजार में)

क्र.सं.	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु कुल देय	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती 1%	निकायों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि (3–4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	नगर निगमें	1362594	13626	1348968
2-	नगर पालिका परिषदें	1614079	16117	1597962
3-	नगर पंचायतें	419834	3950	415884
	योग	**3396507**	**33693**	**3362814**

नोटः– आंकड़ें पूर्णांक (Round) में प्रदर्शित किये गये हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत संक्रमित/ अवमुक्त की जा रही है:–

1. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत उक्त धनराशि संक्रमित की जा रही है।
2. पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 266/ (वि.आ.निदे.) xxvii(1)/ 2022, दिनांकः 02.05.2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
3. वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) के पत्र संख्याः 36/FCD-IRFC/FFCG/4/ 2022, दिनांकः 03.04.2023 के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 20/12/2023 12:45 PM

I/174209/2023

निकायों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से 01 प्रतिशत की कटौती उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु की गई है।

4. संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, विकास कार्यो एवं केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों यथाः— कूड़ा वाहन, डम्पर, टिप्पर, जे.सी.बी. व कम्पेक्टर वाहन क्रय करने पर व्यय की जा सकती है परन्तु स्वच्छता से इतर अन्य वाहन जैसेः—जीप और स्टॉफ कार कदापि क्रय नहीं किये जायेगें।

5. एक नगर पंचायत को, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत एक उच्चीकृत निकाय को संक्रमण की उतनी ही राशि प्राप्त होगी, जितना की आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान उसके उन्नयन से पूर्व प्राप्त हो रहा था।

6. आयोग द्वारा निकायों के परस्पर निर्धारित अंश के आधार पर यदि किसी निकाय को पूर्व में प्राप्त हो रहे अंतरण से कम अंतरण होता है, तो ऐसी स्थिति में उस निकाय को पूर्व में किये गये अंतरण के बराबर धनराशि अंतरित की जायेगी।

7. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष ₹1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में ₹1.00 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से ₹50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कार्यों और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं। लेकिन नई स्टाफ कार/जीप, इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है।

8. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी स्थानीय निकाय में पूर्व में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत बना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय को संक्रमित धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0—822/XXVII(1)/ 2014, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0—1344/xxvii(1)/ 2021, दिनांकः 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. महालेखाकार से राजस्व प्राप्ति के अनन्तिम आंकड़ें प्राप्त हो चुके हैं, फलस्वरूप राज्य के निज कर राजस्व में वृद्धि होने पर निकायों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि की पुनर्गणना की गई है तथा बढ़ी हुई धनराशि चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के साथ संक्रमित की जा रही है।

10. वित्त अनुभाग—6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0—132/XXVII(6)/ 430/ एक/ 2008/2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार धनराशि संबंधित निकायों को अंतरित की जायेगी। किसी भी दशा में निदेशालय स्तर पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी।

11. नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को त्रैमासिक किश्त के रूप में धनराशि संक्रमित की जायेगी।

12. समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित निदेशालय स्तर पर निदेशक को उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित निदेशक द्वारा निकायवार उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का संकलन कर शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण—पत्र विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव

2

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 20/12/2023 12:45 PM

I/174209/2023

से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को दिनांकः 31 मार्च, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अगली किश्त की धनराशि रोकी जा सकती है, जिसके लिए संबंधित निकाय उत्तरदायी होंगें।

13. संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर संबंधित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

14. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 111469/9 (150)/ 2019 /xxvii(1)/2023, दिनांकः 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

16. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्यय की अनुदान संख्याः07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

(1) शहरी स्थानीय निकाय (निर्वाचित):–

क.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित धनराशि (₹ह0में)
1-	नगर निगमें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–01–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर निगमों को संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन।	1362594
2-	नगर पालिका परिषदें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–02–राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं हेतु संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन।	1614079
3-	नगर पंचायतें	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–03–नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन।	419834
योग			3396507

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 11-12-2023 18:00:15
(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

3
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 20/12/2023 12:45 PM

I/174209/2023

संख्याः /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा, रिंग रोड, देहरादून।
7. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी/ शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
12. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी—नगर निगम/ नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
13. शहरी विकास अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव।

I/177332/2023

संलग्नक–1

संख्या: 177332 /52526/FCD-IRFC/FFCG/8/2023

:: देहरादून :: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2023

समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का निकायवार विवरण

(₹हजार में)

1–नगर निगम

जनपद का नाम	क.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24			
			वित्तीय वर्ष की चतुर्थ किश्त हेतु देय संक्रमण	केन्द्रीयित पेंशन निधि हेतु कटौती (1%)	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु निकायों को संक्रमित धनराशि	योग
(0)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
देहरादून	1	देहरादून	517200	5172	512028	517200
	2	ऋषिकेश	70326	703	69623	70326
हरिद्वार	3	हरिद्वार	152398	1524	150874	152398
	4	रुड़की	124688	1247	123441	124688
नैनीताल	5	हल्द्वानी	159897	1599	158298	159897
पौड़ी गढ़वाल	6	कोटद्वार	100342	1003	99339	100342
उद्यमसिंह नगर	7	काशीपुर	112473	1125	111348	112473
	8	रुद्रपुर	125270	1253	124017	125270
योग (1) नगर निगम		योग	**1362594**	**13626**	**1348968**	**1362594**

2–नगर पालिका परिषदें

जनपद का नाम	क.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	(03)	(04)	(05)	(06)
अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	53384	534	52850	53384
	2	रानीखेत	18432	184	18248	18432
बागेश्वर	3	बागेश्वर	38041	380	37661	38041
चमोली	4	गोपेश्वर	36605	366	36239	36605
	5	जोशीमठ	41600	416	41184	41600
	6	गौचर	24572	246	24326	24572
	7	कर्णप्रयाग	22891	229	22662	22891
चम्पावत	8	चम्पावत	24269	243	24026	24269
	9	टनकपुर	27328	273	27055	27328
	10	लोहाघाट (उच्चीकृत)	12975	130	12845	12975
देहरादून	11	मसूरी	88711	887	87824	88711
	12	विकासनगर	34616	346	34270	34616
	13	डोईवाला	66863	669	66194	66863
	14	हरबर्टपुर	18973	190	18783	18973
हरिद्वार	15	मंगलौर	57511	575	56936	57511
	16	लक्सर	31418	314	31104	31418
	17	शिवालिक नगर	40376	404	39972	40376
नैनीताल	18	नैनीताल	64484	645	63839	64484
	19	रामनगर	65182	652	64530	65182
	20	भवाली	21188	212	20976	21188
पौड़ी गढ़वाल	21	दुगड्डा	19083	191	18892	19083
	22	पौड़ी	48276	483	47793	48276
	23	श्रीनगर	46082	461	45621	46082
पिथौरागढ़	24	पिथौरागढ़	73781	738	73043	73781
	25	धारचूला	24132	241	23891	24132
	26	डीडीहाट	24132	241	23891	24132
रुद्रप्रयाग	27	रुद्रप्रयाग	26088	261	25827	26088
टिहरी	28	नरेंद्रनगर	16421	164	16257	16421
	29	टिहरी	42126	421	41705	42126
	30	मुनिकीरेती ढालवाला	40084	401	39683	40084

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 22/12/2023 06:13 PM

	31	चम्बा	16766	168	16598	16766
	32	देवप्रयाग	24384	244	24140	24384
ऊधम सिंह नगर	33	बाजपुर	37106	371	36735	37106
	34	गदरपुर	29056	291	28765	29056
	35	जसपुर	60644	606	60038	60644
	36	खटीमा	63677	637	63040	63677
	37	किच्छा	82933	829	82104	82933
	38	सितारगंज	39228	392	38836	39228
	39	महुआखेडागंज	18804	188	18616	18804
उत्तरकाशी	40	उत्तरकाशी	43575	436	43139	43575
	41	बड़कोट	22891	229	22662	22891
	42	चिन्यालीसौड़	22891	229	22662	22891
योग (2)			1611579	16117	1595462	1611579
3—नगर पालिका परिषद (नव सृजित)						
ऊधम सिंह नगर	43	नगला	2500	0	2500	2500
योग (3)			2500	0	2500	2500
योग नगर पालिका परिषदें			1614079	16117	1597962	1614079
4—नगर पंचायतें						
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	5700	57	5643	5700
	2	भिकियासैण	6199	62	6137	6199
	3	चौखुटिया	6199	62	6137	6199
बागेश्वर	4	कपकोट	5795	58	5737	5795
चमोली	5	नन्दप्रयाग	8762	88	8674	8762
	6	पोखरी	8725	87	8638	8725
	7	थराली	5381	54	5327	5381
	8	पीपलकोटी	9298	93	9205	9298
	9	गैरसैंण	10578	106	10472	10578
चम्पावत	10	धनबरा	6282	63	6219	6282
हरिद्वार	11	झबरेड़ा	20497	205	20292	20497
	12	लंढौर	25653	257	25396	25653
	13	भगवानपुर	16155	162	15993	16155
	14	पिरान कलियर	18165	182	17983	18165
नैनीताल	15	कालाढूंगी	13367	134	13233	13367
	16	लालकुआँ	13080	131	12949	13080
	17	भीमताल	28358	284	28074	28358
पौड़ी गढ़वाल	18	स्वर्गाश्रम	15803	158	15645	15803
	19	सतपुली	6768	68	6700	6768
पिथौरागढ	20	गंगोलीहाट	8790	88	8702	8790
	21	बेरीनाग	9335	93	9242	9335
रुद्रप्रयाग	22	अगत्स्यमुनि	10041	100	9941	10041
	23	उखीमठ	8920	89	8831	8920
	24	तिलवाडा	6199	62	6137	6199
टिहरी	25	कीर्तिनगर	8994	90	8904	8994
	26	घनसाली	9044	90	8954	9044
	27	गजा	5891	59	5832	5891
	28	लम्बगांव	6199	62	6137	6199
	29	चमियाला	6216	62	6154	6216
ऊधम सिंह नगर	30	महुआडावरा	7416	74	7342	7416
	31	सुल्तानपुर	8039	80	7959	8039
	32	केलाखेड़ा	12019	120	11899	12019
	33	दिनेशपुर	10650	107	10543	10650
	34	शक्तिगढ	10351	104	10247	10351

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 22/12/2023 06:13 PM

	35	नानकमत्ता	8631	86	8545	8631
	36	गूलरभोज	7110	71	7039	7110
उत्तरकाशी	37	पुरोला	13620	136	13484	13620
	38	नौगांव	6604	66	6538	6604
योग (4)		योग	394834	3950	390884	394834
5—नगर पंचायतें (नव सृजित)						
हरिद्वार	39	सुल्तानपुर—आदमपुर	2500	0	2500	2500
	40	पाडली गुर्जर	2500	0	2500	2500
	41	ढण्डेरा	2500	0	2500	2500
	42	रामपुर	2500	0	2500	2500
	43	इमलीखेडा	2500	0	2500	2500
टिहरी गढ़वाल	44	तपोवन	2500	0	2500	2500
पौडी गढ़वाल	45	थलीसैंण	2500	0	2500	2500
बागेश्वर	46	गरूड़	2500	0	2500	2500
उधमसिंह नगर	47	लालपुर	2500	0	2500	2500
देहरादून	48	सेलाकुई	2500	0	2500	2500
योग (5)			25000	0	25000	25000
योग नगर पंचायतें (4+5)			419834	3950	415884	419834
महायोग			3396507	33693	3362814	3396507

(₹तीन सौ उनतालीस करोड़ पैंसठ लाख सात हजार मात्र)

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 22-12-2023 15:17:58
(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव

Generated from eOffice by TEJPAL SINGH, SRO-TS-FCD, SENIOR RESEARCH OFFICER, Finance Department on 22/12/2023 06:13 PM